ग्राम पंचायत हनुमान बडोग, विकास खंड कुनिहार, जिला सोलन के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2013 से 03/2016

भाग-1

1 प्रस्तावना (क):-

ग्या रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने एवं संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्यां PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07/04/2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० को सौंपने जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत हनुमान बडोग, विकास खंड कुनिहार, जिला सोलन का अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) गम्भीर आपतियों का सार:-

क्रम सं0	विवरण	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1	रोकड़ वही तथा बैंक खातों में अंतर	5 (क)	0.29
2	मनरेगा की रोकड़ वही व बैंक खाते में अंतर	5 (ख)	0.33
3	वाटर शेड की रोकड़ वही तथा बैंक शेष में अंतर	5 (ग)	2.69
4	अनुदानों की उपयोग हेतु शेष राशि	7	11.02
5	गृहकर की वसूली हेतु शेष	10	0.07
6	औपचरिकताये पूर्ण किए बिना क्रय करना	11	1.48
7	क्रय निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	18 (2)	0.87

2 अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

क्रम संख्यां	प्रधान	अवधि	सचिव	अवधि
1.	श्रीमती सोमा	04/13 से लगातार	श्री बलदेव	04/2013 से लगातार

भाग -2

3 ग्राम पंचायत हनुमान बडोग अवधि 01-04-2013 से 31.3.201 6 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शायें गए है, श्री पुनीश सागर अनुभाग अधिकारी द्वारा विकास खंड कार्यालय, कुनिहार में किया गया। अंकेक्षण के दौरान आय की विस्तृत जांच हेतु माह 02/14, 09/14 व 03/16 तथा व्यय हेतु माह 02/14, 10/14 व 09/15 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शायें गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने /अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

4 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत हनुमान बडोग के लेखाओं अवधि 4/13 से 3/16 तक के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/- बनता है। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) के अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां 60 दिनांक 18/01/2017 द्वारा यह राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदे शक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को भेजने हेतु अनुरोध कर दिया गया था।

5 वित्तीय स्थिति:-

(क) स्वस्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान:-

(i) अंकेक्षण अधियाचना संख्यां 1 दिनांक 18/07/16 तथा अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां 59 दिनांक 17/01/17 द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से स्वस्त्रोतों तथा अनुदानों की अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित माह वार तथा वर्षवार वित्तीय स्थिति पृथक-2 रूप से प्रस्तुत करने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही की गई। ग्राम पंचायत के स्व-स्त्रोतों एवं विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31. 03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "क"** के अनुसार निम्न प्रकार से है।

वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	322010.25	902454.00	1224464.25	774010.00	450454.25
2014-15	450454.25	1073297.00	1523751.25	1038529.00	485222.25
2015-16	485222.25	1104421.00	1589643.25	487204.00	1102439.25

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष = 1102439.25—(1)

(**परिशिष्ट "क"",** "के अनुसार)

दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक खातों का तथा हस्तगत शेष = 1131779.50 (2)

[1131416.50 (विभिन्न बैंक्स में) + 363.00(हस्तगत रोकड़)]

(**परिशिष्ट "क""** "के अनुसार)

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न
बैंक खातों के शेष में अन्तर:- 29340.25/- (2-1)

नोट:- कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अंतर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31/03/16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत की गई। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों ₹29340.25 के अंतर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) बैंक तथा डाक घर खातो में दिनांक 31/03/16 को जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे:-

परिशिष्ट "क" के द्वारा विभिन्न बैंक/डाक घर खातों में जमा राशि से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी परन्तु बार-2 आग्रह करने के पश्चात भी खाता संख्यां 2163000100051519 में दिनांक 31/03/16 को ₹36572.50 जमा होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सम्बन्धित बैंक से प्राप्त करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण इस खाते में दिनांक 31/03/16 को जमा राशि के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 आगामी अंकेक्षण पर सम्बन्धित बैंक से दिनांक 31/03/16 को जमा राशि बारे प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) ग्राम पंचायत हनुमान बडोग के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा परिशिष्ट (क) के अनुसार निम्न प्रकार से है।

वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	61655.00	977799.00	1039454.00	1003097.00	36357.00
2014-15	36357.00	433594.00	469951.00	437181.00	32770.00
2015-16	32770.00	824332.00	857102.00	824332.00	32770.00

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष = 32770.00.00 (1)
(**परिशिष्ट "क""** के अनुसार)
दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक खातों के अनुसार शेष = शून्य (2)
(**परिशिष्ट "क"** "के अनुसार)
दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर:- ₹32770 (1-2)

नोट:- कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अंतर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31/03/16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण के

समक्ष प्रस्तुत की गई। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों ₹32770/- के अंतर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिचित किया जाए।

(ग) ग्राम पंचायत हनुमान बडोग के वाटर शेड से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31. 03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "क" के अनुसार) निम्न प्रकार से है।**

वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	74283.50	111224.00	185507.50	150011.00	35496.50
2014-15	35496.50	60604.00	96100.50	35247.00	60853.50
2015-16	60853.50	439681.00	500534.50	429893.00	70641.50

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष = 70641.50 (1)

(**परिशिष्ट "क""** के अनुसार)

दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक खातों /बही खातों के अनुसार शेष =339713.50 (2)

(**परिशिष्ट "क""** "के अनुसार)

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर:- 269072.00 (2-1)

नोट:- कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अंतर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31/03/16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण समक्ष प्रस्तुत की गई। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों ₹269072/- के अंतर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिचित किया जाए।

6 विभिन्न अनुदानों बारे:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्यां 1 दिनांक 18/07/16 तथा अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां 51 दिनांक 06/01/17 द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से विभिन्न अनुदानों की पृथक -2 रूप से अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित वर्षवार आरम्भिक शेषों, प्राप्तियों, भुगतानों तथा अंतिम शेषों बारे जानकारी मांगी गई थी परन्तु जो जानकारी (**परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न) अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत की गई उसमें न तो अनुदानों के आरम्भिक तथा न ही अंतिम शेष दर्शाए गए थे जिस कारण दिनांक 31/03/16 प्रत्येक अनुदान का तथा समस्त अनुदानों का कुल शेष कितना है इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। सचिव के अनुसार बही खातों को पूर्ण

न किये जाने के कारण अनुदानों के शेषों बारे जानकारी उपलब्ध करवाना सम्भव नही है। अभिलेख का नियमित रूप से updateन करना एक गम्भीर अनियमितता है। अत: उपरोक्त इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बही खाते पूर्ण करके दिनांक 31/03/16 को अनुदानों के शेषों से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव सही रूप से किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

7 निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹11.02 लाख का उपयोग न करना:-

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "क")** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति (स्वस्त्रोत तथा अनुदान) के अनुसार ₹1102439.25 शेष थी। इस से यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नही किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोधं होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अत: अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31/03/2016 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उन से सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 सावधि निवेश:-

ग्राम पंचायत द्वारा उप लब्ध करवाई गई जानकारी (**परिशिष्ट "घ"**) के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नही की गई थी जबकि हि०प्र० पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। लेकिन यह प्रतीत होता हो कि पंचायत प्रशासन द्वारा इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अत: यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गये निदेशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

9 रोकड़ बही :-

(i) रोकड़ वही को नियमानुसार तैयार न करनाः-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्याः 1 से 50 में वर्णित आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत

निधि खाता-क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम-3 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जाएगा , परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक पंचायत ने अपनी आय के स्त्रोतों की रोकड़ वही में कुछ अनुदानों की आय को भी सम्मिलित किया गया था व शेष अनुदानों हेतु तीन रोकड वहियां अलग से लगाई गई थी , जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता-क व ख के अनुरूप रोकड़ वही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) रोकड़ बही के रख रखाव बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बही का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। कई माहों के अंत में नियमानुसार प्रधान द्वारा न तो प्रमाण पत्र दिया जा रहा था कई वाउचर्स पर प्रस्ताव संख्यां नहीं लिखी गई थी। रोकड़ बही में कई प्रविष्टियों का सत्यापन भी नहीं किया गया था। रोकड़ बही में कटिंग्स एवं ओवर राइटिंग की गई थी। अत: इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में हि० प्र० पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7(1,2 व 3) तथा 10 (3) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से किया जाए।

10 आय :-

(i) ₹0.07 लाख के गृह कर की वसूली न करना:-

(क) ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ड़"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹6660/- [32520/-(20/- x1626(536+536+554)-25860/-(9410+16450)] गृह कर की वसूली नहीं की गई थी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹6660/- की वसूली करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में गृह कर की वसूली नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त ₹20/-गृह कर निर्धारण से सम्बन्धित पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव भी आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए क्योंकि अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बाद भी यह अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) अंकेक्षण के दौरान गृह कर मांग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित कोई अभिलेख/रजिस्टर अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस से यह प्रतीत होता है या तो इस अभिलेख का रख रखाव ही नही किया जा रहा था या इसे पूर्ण नहीं किया गया था। अत: इस बारे स्थिति

स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) ₹3400/- दुकानों के किराए की वसूली न करना:-

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ड़"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹3400/- [32400/-(300/-x 3 दुकानें x 36 माह -29000/-(2700+26300)] गृह कर की वसूली नहीं की गई थी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹3400/- की वसूली करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में दुकानों के किराये की वसूली नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त ₹300/- प्रति दुकान के मासिक किराए के निर्धारण से सम्बन्धित पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव भी आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए क्योंकि अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बाद भी यह अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iii) शराब उप कर की वसूली न करना:-

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ड़"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत को वर्ष 2013-14 से सम्बन्धित शराब उपकर की राशि आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त नहीं हुई थी। अतः शराब उपकर की नियमानुसार देय राशि सम्बन्धित विभाग से वसूल न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा राशि की वसूली हेतु सम्बन्धित विभाग से मामला उठाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाए एवं कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iv) रसीद बुक से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर उपरोक्त नियमों में दिए गये निर्देशानुसार सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नही दिया जा रहा था । यह भी पाया गया कि एक समय मे एक साथ एक से अधिक रसीद बुकों का प्रयोग किया जा रहा है तथा रोकड़ बही में रसीदों की प्रविष्टियाँ क्रमवार नही की जा रही थी। रसीद बुक रजिस्टर में रसीद बुकों के साथ-2 माप पुस्तिकाओं की प्रविष्टियाँ (पृष्ठ संख्यां 4 पर) भी की जा रही थी जोकि अनियमित है। इसके अतिरिक्त रसीद बुक रजिस्टर के स्तम्भों जैसे कि स्तम्भ संख्यां 11 (पृष्ठ संख्यां 3 पर कर्म संख्यां 36) पर रसीद बुकों के प्राप्तकर्ता की पहचान को परिलक्षित करने वाले के हस्ताक्षर नहीं थे। अत: उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति

स्पष्ट की जाए तथा इनके बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

(v) अनुदानों की प्राप्ति से सम्बन्धित कार्यालय आदेशों/दस्तावेजों का रख रखाव न करना:-

खंड विकास कार्यालय द्वारा समय-2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदान जारी किये जाते हैं। निश्चित रूप से अनुदान की यह राशियाँ जारी करते समय खंड विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश जारी किये जाते होंगे जिन में जारी की गई राशियों उनके शीर्षों/निर्माण कार्यो आदि का स्पष्ट विवरण दर्ज होता होगा। परन्तु यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में खंड विकास कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों/पत्रों का रख रखाव ही नही किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान मांगने के उपरान्त भी यह पत्र/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिस कारण विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु जारी की गई राशियों, उनके शीर्ष तथा निर्माण कार्य जिनके कार्यान्वन हेतु वे जारी की गई थी के सही होने की पुष्टि सम्भव नहीं हो सकी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त अभिलेख का रख रखाव ग्राम पंचायत में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 ₹1.48 लाख का क्रय बिना औपचारिकताए पूर्ण किए करना:-

अंकेक्षण के दौरान बार-2 आग्रह करने पर भी निम्नलिखित किये गये क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज (quotations) अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण क्रय करने से पूर्व हि० प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 67 में दिए गये निर्देशों के अनुसार विहित प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्रय करते समय नियम 67 में दिए गए निर्देशों का पालन ही न किया गया हो। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज (quotations) आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए और यदि निम्नलिखित क्रय हेतु उपरोक्त नियम में वर्णित निर्देशों का पालन नहीं किया गया था तो इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवा के अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**राशि (₹)**	**विवरण**
स्वस्त्रोत तथा	02/14	14	9600/-	रेत का क्रय
अनुदान	10/14	14	5400/-	रोड़ी का क्रय
		15	22200/-	रेत, रोड़ी तथा ईंट का क्रय

		16	4890/-	खडकी दरवाजों का क्रय
		16	14000/-	पत्थर का क्रय
		16	10200/-	रेत तथा रोड़ी का क्रय
		16	19250/-	रेत, रोड़ी आदि का ढूलान
	09/15	36	14000/-	पत्थर का क्रय
		36	18000/-	रोड़ी का क्रय
मनरेगा	02/14	27	6400/-	रेत का क्रय
		27	4800/-	रेत का क्रय
		28	6400/-	रेत का क्रय
		28	6400/-	रेत का क्रय
		28	6400	रेत का क्रय

12 भुगतानों के एवज में प्राप्त रसीदें प्रस्तुत न करनाः-

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय की एवज में रसीदें प्राप्त नहीं की जा रही है जोकि हि० प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निदेशों की अवेहलना है तथा यह निम्न कुछ प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है। अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित रसीदें अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में रसीदें ली जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**राशि (₹)**	**विवरण**
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	02/14	83	188/-	बिजली का बिल
			9600/-	रेत का क्रय
	09/15	36	90/-	बिजली का बिल
वाटर शेड	09/15	19	230000/-	खंड विकास कार्यालय, कुनिहार में जमा

13 ₹13/- का अनुचित भुगतान किये जाने बारे:-

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरण में ₹13/-का अनुचित भुगतान किया गया था। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से ₹13 की वसूली करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**बिल की विलम्ब शुल्क सहित भुगतान की गई राशि**	**जितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था (₹) (2)**	**विलम्ब शुल्क का भुगतान (1-2)**	**टिप्पणी**

		(₹) (1)			
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	02/14	188/-	175/-	13/-	बिजली का बिल विलम्ब जमा करवाने पर किया गया विलम्ब शुल्क का भुगतान।

14 मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारे :-

(i) व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि विभिन्न कार्यों हेतु मस्टर रोल्स से सम्बन्धित movement slip को पूर्ण रूप से नही भरा जा रहा था। यह भी पाया गया कि village monitoring committee (vmc) द्वारा भी मस्टर रोल्स पर करवाए गए निर्माण कार्यों पर सत्यापन भी नहीं किया जा रहा था। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है। अत: इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**मस्टरोल की राशि (₹)**	**टिप्पणी**
मनरेगा	02/14	24	4830/-	movement slip पूर्ण नही भरी गई थी तथा vmc द्वारा भी कार्य का सत्यापन नहीं किया गया था ।
	02/14	24	14904/-	यथोपरि
	02/14	26	16560/-	यथोपरि

(ii) यह भी पाया गया कि मस्टर रोल जारी रजिस्टर में मस्टर रोलस को क्रमवार जारी नहीं किया जा रहा था जोकि मस्टर रोल रजिस्टर की क्रम संख्यां 28 से 37 (वर्ष 2015-16) तक जारी किये गए मस्टर रोल्स की संख्यां से स्पष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त मस्टर रोल रजिस्टर के पृष्ठों पर पृष्ठ संख्यां भी अंकित नहीं की गई थी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

15 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे :-

(i) विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई निर्माण सामग्रियों का उन निर्माण कार्यों पर हुई की खपत का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापन/आकलन (verfication /assessment) न दर्शाना:-

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों का सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर हुई की खपत का सक्षम तकनीकी

प्राधिकारी द्वारा सत्यापन/आकलन (verfication/assessment) नहीं दर्शाया गया। जिस कारण इन निर्माण सामग्रियों का इन कार्यों के कार्यान्वन हेतु उचित एवं पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया था इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों की सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर हुई खपत का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापन/आकलन दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**राशि (₹)**	**क्रय की गई वस्तु /सेवा का विवरण**
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	02/14	83	9600/-	रेत
	10/14	14	5400/-	रोड़ी
		15	22200/-	रेत, रोड़ी तथा ईंट
		16	14000/-	पत्थर
		16	10200/-	रेत तथा रोड़ी
		16	19250/-	रेत, रोड़ी आदि का ढूलान
	09/15	36	14000/-	पत्थर
		36	18000/-	रोड़ी
मनरेगा	02/14	27	6400/-	रेत
		27	4800/-	रेत
		28	6400/-	रेत
		28	6400/-	रेत
		28	6400	रेत
		24 तथा 26	59565/- (4180+4180+10450 9405+8360+836+ 8360+6270)	विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु जारी किया गया सीमेंट

(ii) निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आकलन, प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकीनीकी स्वीकृतियां तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने बारे:-

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने पर भी हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 94 तथा 101 में दिए गये निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आकलन (estimate) उनका प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकीनीकी स्वीकृतियां एवं सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं (measurement books) में प्रविष्टियाँ नहीं दर्शाई गई। साथ ही माप पुस्तिकाओं के रख रखाव से सम्बन्धित रजिस्टर भी अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त अनियमितताओं की पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित किया जाए ।

(iii) सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा किये गए आंकलन संबंधी अभिलेख न दर्शाना:-

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित मस्टर रोल्स के भुगतान से पूर्व इन कार्यों का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा किया गया आकलन (assessment) सम्बन्धी अभिलेख नहीं दर्शाया गया। जिस कारण मस्टर रोल्स द्वारा किये गये भुगतानों के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**मस्टर रोल की राशि (₹)**	**मस्टरोल संख्यां**
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	02/14	83	49471/-	7571
	10/14	14	24238/-	7577
	09/15	36	25434/-	1149
वाटर शेड	09/15	19	21096/-	1150

16 अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित वाउचर्स तथा अन्य अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण किये गये भुगतानो के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आगामी अंकेक्षण पर निम्लिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**दिनांक**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**राशि (₹)**	**विवरण**
मनरेगा	02/14	27	37800/-	सीमेंट का क्रय से सम्बन्धित वाउचर
	02/14	28	2100/-	मस्टर रोल
	10/14	5	20525/-	सीमेंट का क्रय
	10/14	5	2300/-	सीमेंट का क्रय
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	03/16	45	12500/-	सम्बन्धित बैंक में राशि जमा नहीं दर्शाई गई ।

17 ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान बारे:-

(i) ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 6 2 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान , उप प्रधान, मेम्बर्स, चैकिदार आदि को मासिक मानदेय का भुगतान किया जा रहा है परन्तु

पदाधिकारियों/कर्मचारियों को देये मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः मानदेय की सही राशि की पुष्टि हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) माह 10/2014 में पंचायत पदाधिकारियों को ₹33100/- मानदेय का भुगतान किया गया था। इस भुगतान में ₹13300/- (33100-19800) का भुगतान वार्ड पंचों को ₹175/- प्रति बैठक के हिसाब से माह 04/14 से 09/14 तक किया गया था। परन्तु मानदेय रजिस्टर में , वार्ड पंच पंचायत की कितनी बैठकों में उपस्थित थे न तो इस से सम्बन्धित कोई विवरण दर्ज था तथा न ही इस सन्दर्भ में कोई अभिलेख उपलब्ध करवाया गया। जिस कारण उन्हें निम्नानुसार भुगतान की गई राशी उनके द्वारा बैठकों में उपस्थिति के हिसाब से सही थी इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित जानकारी/अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वार्ड पंच का नाम	भुगतान की गई राशि (₹)
श्री नीम चंद	1400/-
श्री स्वर्ण सिंह	1925/-
श्री धन्ना राम	2100/-
श्री मती रीता देवी	2100/-
श्री मती प्रेम लता	1925/-
श्री मती राम प्यारी	2100/-
श्री मती जया शर्मा	1750/-
कुल योग	**13300/-**

18 स्टोर/स्टोक:-

(i) ग्राम पंचायत के भडार के प्रत्यक्ष सत्यापन (physical verification) बारे:-

लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा भंडार का भौतिक सत्यापन किये जाने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार ग्राम पंचायत भंडार का प्रत्येक 6 माह के पश्चात भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण यह प्रतीत होता है कि भडार का भौतिक सत्यापन किया ही नही जा रहा है जोकि निर्देशों की स्पष्ट अवेहलना है। अत; इस

अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार (नियम 73 तथा 77) अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में भंडार का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) सम्बन्धित रजिस्टर्स में ₹0.87 लाख के क्रय सामग्री की प्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित बिलों के भुगतान एवं क्रय की गई वस्तुओं की प्राप्ति एवं जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टोर/स्टोक रजिस्टर्स में नहीं दर्शाई गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अतर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**राशि (₹)**	**क्रय की गई वस्तु/सेवा का विवरण**
मनरेगा	02/14	27	6400/-	रेत
		27	4800/-	रेत
		28	6400/-	रेत
		28	6400/-	रेत
		28	6400	रेत
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	10/14	16	4890/-	दरवाजे तथा खिड़कियाँ
		16	19250/-	रेत, सीमेंट, इंटें आदि
	09/15	36	14000/-	पत्थर
		36	18000/-	रोड़ी
		योग	**86540**	

(iii) स्टोर/स्टोक में प्रविष्टियाँ मदवार न करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मेटीरियल स्टोर/स्टोक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ मदवार नही की जा रही थी। जिस कारण यह रजिस्टर विभिन्न स्टोर सम्बन्धी वस्तुओं के उपयोग तथा शेषों बारे सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करते हैं। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टोक सम्बन्धी वस्तुओं की

प्रविष्टियाँ मदवार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि वस्तुओं के क्रय, उपयोग तथा उनके शेषों बारे सही स्थिति दर्शाई जा सके।

19 विविध:-

(i) बजट आकलन (budget estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 की में दिए गये निर्देशों का अनुसरण पूर्णतया नही किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 से सम्बन्धित बजट आकलन निर्धारित समय (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर पारित नहीं करवाया गये थे जोकि अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई गई जानकारी (परिशिष्ट “ड़”) से स्पष्ट हो जाता है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट आकलन निर्देशानुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार एवं पारित करवाए जाने सुनिश्चित किये जाए।

(ii) विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर, अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, स्टोर/स्टोक रजिस्टर आदि कई बार मांगने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका रख रखाव ही नही किया जा रहा है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में नियमानुसार/निर्देशानुसार रजिस्टर्स का रख रखाव तथा नियमित रूप से उन को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) बिल पारित करने सम्बन्धी निर्देशों का पालन न करना:-

ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया जा रहा है जबकि पंचायती राज वित्त नियमए 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) स्व स्त्रोत की प्राप्त आय-से सीधा व्यय करना:-

ग्राम पंचायत द्वारा बीच-2 में स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय को सम्बन्धित बैंक खाते में जमा न करके रोकड़ बही में दर्शाने के उपरान्त पंचायत के कार्य हेतु व्यय किया जा रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार पंचायत

को प्राप्त होने वाली व पंचायत खाते से भुगतान की जाने वाली प्रत्येक राशि का सम्बंधित खाते में जमा करवाया जाना व सम्बंधित खाते से ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है । अतः उक्त पाई गयी अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाये व भविष्य में उक्त नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

20 **लघु आपत्ति विवरणिका** :- अलग से जारी नहीं की गई हैं।

21 **निष्कर्ष** :- खातों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(iv) 10/2017—खण्ड—1—2776—2779 दिनाँक : 22.05. 2017 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत हनुमान बड़ोग, विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0प्र0

हस्ता/—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881